



2026:AHC:28404

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4931/2026

जूनियर हाई स्कूल सिठौरा विकास खण्ड हथगाम जिला फतेहपुर

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

ग्राम सभा सिठौरा पोस्ट सिठौरा परगना कोटला तहसील खागा जिला फतेहपुर एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	ओम प्रकाश सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

- याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ प्रस्तुत याचिका दायर की है:-
 - मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी को गाटा संख्या 4417 और 4418 (नया गाटा संख्या 1698 और 1699) पर शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।
- अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसी अनुतोष के लिए, याचिकाकर्ता ने पहले ही सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) फतेहपुर के न्यायालय में मूल वाद संख्या 16/2026 दायर किया है, जो अभी भी लंबित है।
- इस मामले को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने उसी अनुतोष के लिए पहले ही एक सिविल वाद दायर कर दिया है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष नहीं दी जा सकती है।
- रिट याचिका खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"